दिनांक [illegible]

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)